



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखीडे

Sushil B. Pakhide

सहायक कुलसचिव (वित्त)

ASSISTANT REGISTRAR (FINANCE)

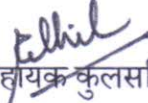
पत्रांक- 002/001/शो.सं.अ.फा./2021-22/ 234

दिनांक - 05 जनवरी, 2023

परिपत्र

माननीय कुलपति एवं छात्र प्रतिनिधियों के साथ संपन्न बैठक दिनांक 19 दिसंबर, 2022 में लिए गये निर्णयानुसार सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि पी-एच.डी. छात्रों को देय नॉन-नेट आकस्मिक राशि की पत्रावलियाँ 03 माह के नियमित अंतराल पर वित्त विभाग भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय ।
3. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।)
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।)